

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प.1(1)चि.स्वा./2/2020

जयपुर, दिनांक : 02.06.2021


आदेश

सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों/सैनिकों को प्रदेश में विभिन्न राजकीय दायित्वों की पूर्ति हेतु आवागमन करना होता है।

भारतीय सेना ने अवगत कराया है कि उनके प्रत्येक अधिकारी/सैनिकों को छावनी क्षेत्र/मिलेट्री स्टेशन/एयरफोर्स स्टेशन में आगमन पर निर्धारित कोविड प्रोटोकॉल की पूर्ण सख्ती से पालना करते हुए स्क्रीनिंग/जांच की जाती है।

उक्त के दृष्टिगत कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना करते हुये सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों/सैनिकों को प्रदेश में आगमन पर 72 घंटे की अवधि की RT-PCR Negative रिपोर्ट की अनिवार्यता से मुक्त किया जाता है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
9. समस्त जिला कलक्टर, राज.
- 10- Col Health & Sr. Adv (CM), South Western Command
11. समस्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
12. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
13. निजी /रक्षित पत्रावली



(संजय कुमार)
शासन उप सचिव